अत्यावश्यक/आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग–1)

क्रमांकःप. 13(1)प्र0सु0/सम0/अनु–1/2008/पार्ट जयपुर, दिनांकः 31.10.2011

1. समस्त संभागीय आयुक्त।
2. समस्त जिला कलक्टर।
3. संबंधित विभागाध्यक्ष।

परिपत्र

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम–2011 को दिनांक **14 नवम्बर, 2011** से राज्य में प्रवृत किये जाने की अधिसूचना जारी हो चुकी है। अधिनियम, अधिनियम की धारा–3 के तहत अधिसूचित की जाने वाली संवाएं, सेवाओं की नियत समय सीमा, सेवाओं के लिए उत्तरदायी पदाभिहित/सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपली एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी घोषित किये जाने की अधिसूचना भी राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित करवाई जा चुकी है। अधिनियम प्रयोजनों के संचालन हेतु नियम भी जारी कर दिये गये हैं जो सभी जिला कलक्टरों को **ई–मेल की गई है** तथा इनकी समुचित प्रतियां भी अलग से भिजवाने की कार्यवाही की जा रही है।

अधिनियम को विधिवत लागू किये जाने के लिए दिनांक 14 नवम्बर, 2011 को सभी जिला मुख्यालयों पर सम्मेलन आयोजित करने के निर्देश अलग से प्रसारित किये जा रहें है।

राज्य सरकार ने निर्देश दिये है कि यह अधिनियम दिनांक 14 नवम्बर से ही सम्पूर्ण राज्य में सभी स्तरों पर अग्रिम व्यवस्थाओं के साथ प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाय। इस हेतु प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार की समुचित व्यवस्थाएं दिनांक 14 नवम्बर, 2011 से पूर्व पूर्ण कर ली जावें। इस संदर्भ में **परिपत्र कमांक 5(3) प्र0सु0/सम0/ अनु–1/2008 दिनांक 12.10.2011** द्वारा आपको अवगत कराया जा चुका है। वित्त विभाग ने इस हेतु सभी जिला कलक्टरो को 2–2 लाख रूपये का बजट अलग से स्वीकृत किया है जिसमें 1 लाख रूपये प्रचार–प्रसार के लिए एवं 1 लाख रूपये प्रशिक्षण हेतु रखे गये हैं। इस हेतु स्वीकृति अलग से प्रसारित की जा रही है।

अधिनियम धारा–10 के तहत जारी नियमों के नियम–20 में भी अधिनियम के प्रसार और प्रशिक्षण के संबंध में कार्यवाही के लिए प्रावधान किया गयाहै। अतः समस्त जिला कलक्टरों को **प्रचार–प्रसार और प्रशिक्षण** के संदर्भ में निर्देश दिये जाते हैं कि दिनांक **14 नवम्बर, 2011 से पूर्व** निम्नानुसार कायक्रम आयोजित करना सुनिश्चित किया जावें :–

(1) प्रचार–प्रसारः

समाचार पत्र/मीडिया, विज्ञापन एवं पम्पलेट के माध्यम से अधिनियम का प्रचार–प्रसार किया जावें जिसमें आम जन को अभियानों/कार्यक्रमों के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया जावें कि **इस अधिनियम के अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार किया जायें। उन्हें संबंधित प्रावधानों की जानकारी दी जाय, अधिकारों से अवगत कराया जायें। पाठकों संबंधित कर्मचारी/अधिकारीगण को अधिनियम/नियमों में दी गई प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से समझावें ताकि जनता एवं संबंधित कर्मचारियों/ अधिकारियों को कोई परेशानी नहीं हो। अधिनियम के सफल क्रियान्वयन हेतु आमजन एवं कर्मचारी/अधिकारियों से सहयोग की अपील की जावें।**

(2) प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजनः

संबधित विभागों के पदाभिहित/सहायक पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारी एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी, पंचायत समिति/स्थानीय निकायों के प्रमुखों, माननीय संसद सदस्यों/विधायक, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों/स्वयं सेवी संस्थाओं(NGOs) के पदाधिकारियों की आमुखीकरण कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम यथा आवश्यकता 3 स्तरों पर

आयोजित किये जावे जो निम्न प्रकार रखे जा सकते हैं, इन कार्यक्रमों में संबंधित अधिकारीगण को नियमों आदि की जानकारी के साथ ही वांछित सामग्री भी उपलब्ध करवाई जावें :–

(1) **जिला स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण – कार्यक्रम (भाग–1) :**
निम्न अधिकारीगण के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावें –
(i) जिला स्तरीय अधिकारी
(ii) उप खण्ड अधिकारी(SDOs)/खण्ड स्तरीय अधिकार
(iii) नगर निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अधिशाषी अधिकारी/सचिव आदि

(2) **जिला स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण/कार्यशाल – कार्यक्रम (भाग–2) :**
माननीय संसद सदस्य/विधायकगण, जनप्रतिनिधि/स्वयं सेवी संगठनों (NGOs) की आमुखीकरण कार्यशाला में निम्न आमंत्रित किया जावें –
(i) जिले के माननीय संसद सदस्य/विधायक/जनप्रतिनिधि। प्रमुख
(ii) जिला प्रमुख
(iii) स्वयं सेवी संगठन, प्रमुख मिडिया प्रतिनिधि (selected persons)

(3) **उपखण्ड मुख्यालय (SDOs) स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यकम (भाग–3) :**
निम्न अधिकारी/कर्मचारी के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावें –
(i) पटवार
(ii) ग्राम सेवक
(iii) अन्य विभागों के पंचायत स्तरीय अधिकारी जिनकी सेवाएं अधिनियम में शामिल की गई है।

इस हेतु राज्य सरकार के स्तर पर भी दिनांक 4.11.2011 को हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर के माध्यम से जिला स्तरीय अधिकारियों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होगा। जिसकी सूचना संस्थान द्वारा अलग से भेजी जा रही है। **इस संदर्भ में नवम्बर के प्रथम सप्ताह में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर एक विडियो कॉन्फ्रेंस (video conference)** भी इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन तथा सेवाओं के लिए आवेदनों के सरलीकरण व एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की जावेगी। एक्ट से संबंधित सभी प्रावधान आदि राज्य सरकार की वैवसाइट पर उपलब्ध करा दिये गये हैं। कृपया उनका पूरी तरह अध्ययन आदि सुनिश्चित कर लेवें ताकि **विडियो कॉन्फ्रेंस** में सक्रियता से भागीदारी निभा सकें।

अतः सभी जिला कलक्टरों से यह अपेक्षित किया जाता है कि वे अधिनियम को प्रभावी रूप में लागू कराने के लिए अपेक्षित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।

मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–
1. निजी सचिव/उप सचिव, मुख्य सचिव।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री।
3. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव।
4. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, संबंधित विभाग।
5. संबंधित विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, संबंधित बोर्ड/मण्डल।
6. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयंपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त नगर निगम, नगर पालिका/नगर सुधार न्यास/स्थानीय निकाय (संबंधित प्रशासनिक विभाग और विभागाध्यक्ष के माध्यम से)
6. शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना एवं जन संपर्क विभाग को प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित।

(डा0 आर.पी.जैन)
प्रमुख शासन सचिव